__13.10 hrs__

**Title: Regarding violation of the directions given by the Central government for proper implementation and inauguration of projects under `Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana` in Uttar Pradesh.**

**कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) :** अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक हजार की आबादी के गांव को प्रथम चरण में तथा पांच सौ की आबादी वाले गांव को द्वितीय चरण में पिट-मार्गों से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इस बारे में केन्द्र सरकार ने जो दिशा-निर्देश जारी किये हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। अभी भारत सरकार ने एक दिशा-निर्देश जारी किया है कि माननीय सदस्यों के प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्ताव लिये जाएं और उसके लोकार्पण या शुभारम्भ कार्यक्रम में माननीय सांसदों को आमंत्रित किया जाए। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में निर्देश दें कि भारत सरकार ने इस विाय में जो दिशा-निर्देश दिये हैं उनका अनुपालन करें। अगर आप अपने दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करवा सकते हैं तो सारे दिशा-निर्देश वापस ले लें।

**श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) :** मंत्री जी, वे कहते हैं कि हमारे पास इसके लिए कोई बजट नहीं है और वे ऐसा कोई इनोग्रेशन या लोकार्पण कार्यक्रम नहीं करवा सकते हैं।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) :** अध्यक्ष जी, अगर भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य सरकार को कोई दिशा-निर्देश दिये हैं तो जरूर उनका पालन होना चाहिए। जैसा कि माननीय सांसद ने कहा, अगर उनका पालन नहीं हो रहा है तो मैं प्रधान मंत्री कार्यालय में जो इसके क्रियान्वयन को देखते हैं उन माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्िात करुंगा और आगे इसको सुधारने का प्रयास होगा।